

क्रम सं०
तारीख
9

RMA S3/11-12

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
Md. Salamat -uo- 161- Raiyat

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
3

23.2.18 उभय पक्षों की उपस्थिति नहीं है,
इससे दिनांक 23.3.18 को रखा

23/3/18 उभय पक्षों की उपस्थिति नहीं है/
इसे दिनांक 18/5/18 को रखा
अपर समाहर्ता

18/5/18 उभय पक्षों की उपस्थिति नहीं है/
इसे दिनांक 07/6/18 को रखा
अपर समाहर्ता

1/6/18 उभय पक्षों की उपस्थिति नहीं है

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष कई तिथियों से न्यायालय में अनुपस्थित है। उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए दिनांक 09.06.17 को नोटिस निर्गत किया गया जिसका तामिला दिनांक 30.08.17 को प्राप्त है। इसके प्रश्चात् भी उभय पक्ष न्यायालय में लगातार अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतः अभिरुचि के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित
अपर समाहर्ता,
दुमका।

1/6/18
अपर समाहर्ता,
दुमका।